संभाग पोस्ट

साप्ताहिक

RNI: MPHIN/2015/60688

जिलों से संभाग तक का सच

email:sambhagpost@gmail.com

वर्ष-8 । अंक-24 । प्रति मंगलवार, इंदौर, 05 नवंबर 2024 से 11 नवंबर 2024 । । मूल्य- 2 रु. । पृष्ठ- 8

भय से भारत अभय हो,
फिर विजय से विश्व।
विनयकर निर्भय जय हो,
जय हो भारत भूमि जय हो।।

Short News

उत्तराखंड में बड़ा हादसा अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत, कई घायल

■ अल्मोड़ा । संभाग पोस्ट

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मार्चुला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। चार घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। तीन घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मार्चुला इलाके के पास सोमवार को यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हैं। हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा सड़क हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, 'उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हरसंभव प्रयास में जुटा है।' बस नैनीडांडा के किनाथ से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मार्चुला के पास पहुंची तो सारड बैंड के पास नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटककर नीचे गिर गए। घायल लोगों ने ही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया। घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया। बस सवार 36 यात्रियों की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल हैं।

आपका अपना विश्वसनीय अखबार...
हमेशा आपके साथ
संभाग पोस्ट
आप हमसे अपनी समस्याओं को सांझा कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के विडियो, फोटो, दस्तावेज के माध्यम से हमारे वाट्सअप नम्बर पर और संभाग पोस्ट के पाठक सदस्य भी बन सकते हैं...
एक वर्ष की सदस्यता लेने पर अखबार फ्री... तीन विज्ञापन फ्री... पाठक सदस्यता आईडी कार्ड फ्री... न्यूज चैनल पर एक एड फ्री....
सम्पर्क 9009919948

खरगोन नगर पालिका की कारस्तानी

आदेश के बावजूद भी कर रहे मनमानी

अधिकारी का प्रेम एक पर बरसा दूसरा अपनी एफडीआर लेने को तरसा

■ खरगोन । संभाग पोस्ट

खरगोन एक बार फिर नगर पालिका की कस्तानी सामने आई है हमेशा की तरह इस बार भी खरगोन नगर पालिका अपनि मनमर्जी ही कर रही है मामला श्री हरि कंस्ट्रक्शन द्वारा नगर पालिका परिषद में टेंडर के लिए एफडीआर वापस लेने का है।

फर्म के ओनर पंकज परिहार का कहना है नगर पालिका मैं जाकर कई बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी नगर पालिका द्वारा एसडीआर एफ योजना के अंतर्गत एफ डी आर वापस नहीं की जा रही है एक तरफ सरस्वती नगर वार्ड क्रमांक 5 में हुए टेंडर में नाला सुकृत होने पर एसडीआरएफ योजना के अंतर्गत भानु श्री कंस्ट्रक्शन से एफडीआर नहीं ली गई जोकि नियम विरुद्ध है जिस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए जिस मामले का अखबारों में प्रकासन भी किया गया है और दूसरी तरफ खरगोन श्री हरि कंस्ट्रक्शन द्वारा शासकीय नियम अनुसार एफडीआर जमा करने पर भी नगर पालिका द्वारा वापस नहीं दी जा रही है खरगोन नगर पालिका के नहीं सुनने पर इंदौर संभाग संयुक्त संचनालय में भी शिकायत की गई वहां से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शिकायत को भोपाल उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई इसके उपरांत भोपाल विभाग से आदेश आने पर संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया की नगर पालिका खरगोन द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिए जाने से कार्य में विलंब हो रहा है एसडीआरएफ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट राहत आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन को दी जानी होती है निकाय द्वारा उक्त कार्य आदेश की दिनांक से 29 माह पश्चात भी पूर्ण नहीं कराए जाने से यह प्रतीत होता है कि निकाय के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है आयुक्त महोदय ने व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया है कि यदि निकाय कार्य नहीं करवा पा रही है तो निकाय से राशि वापस ली जावे साथ ही योजना से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावे उक्त एसडीआरएफ योजना के अंतर्गत की गई एफडीआर को वापस किया जाए साथ ही संबंधित अधिकारीयो के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। कार्यवाही के आदेश देने के उपरांत भी नगर पालिका इतनी हटी हो रही है कि वह एफडीआई वापस करने को तैयार नहीं शायद किसी भेंट पूजा के इंतजार में इस कार्य को रोका जा रहा है और उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि खरगोन नगर पालिका बगैर किसी स्वार्थ को सिद्ध किए बगैर नगर पालिका एफडीआर वापस नहीं करेगी।

सुविचार

किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे, किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे।

संपादकीय

भारत की चेतावनी

कनाडा द्वारा लगातार लगाये जा रहे बेबुनियाद आरोपों के जवाब में भारत ने चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर हो सकता है. कनाडा के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपने देश की संसद की एक समिति के सामने आरोप लगाया है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में हुए हमलों की मंजूरी दी थी. उल्लेखनीय है कि पिछले साल वहां रह रहे एक खालिस्तानी सरगना की हत्या हुई थी. इस हत्या के लिए कनाडा सरकार ने भारतीय उच्चायोग, एजेंसियों और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है, पर भारत के बार-बार कहने के बावजूद किसी तरह का सबूत नहीं दिया गया है. कुछ दिन पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह आधिकारिक रूप से स्वीकार भी किया है कि उनके पास आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है. पिछले महीने सिंगापुर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के अधिकारियों की मुलाकात में भी कोई सबूत नहीं मुहैया कराया गया. पहले भारतीय उच्चायुक्त समेत वरिष्ठ कूटनीतिकों पर कनाडा सरकार गंभीर आरोप लगा चुकी है, जिसके कारण भारत ने अपने छह कूटनीतिकों को वापस बुलाने का निर्णय किया. अब गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया जा रहा है. कनाडा सरकार का यह भी कहना है कि भारतीय उच्चायोग और खुफिया एजेंसियां वहां के नागरिकों की जासूसी में लिप्त हैं. अब सरकार ने भारत को उन 'शत्रु देशों' की सूची में डाल दिया है, जिनसे कनाडा की साइबर सुरक्षा का खतरा है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का एक और प्रयास है. कनाडाई अधिकारियों ने खुले तौर पर यह स्वीकार भी किया है कि कनाडा भारत के खिलाफ वैश्विक जनमत को प्रभावित करना चाहता है. भारतीय उच्चायोग के कर्मियों की निगरानी भी चिंताजनक है और उनकी एवं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनकी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए भारत के विरुद्ध मुहिम चला रही है. उनकी लोकप्रियता लगातार घटती गयी है. उनकी सरकार जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन से चल रही है. जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक हैं और भारत के विरुद्ध बयान देते रहते हैं. कनाडाई सरकार द्वारा खुले तौर पर आतंकवादियों, अलगाववादियों और अपराधियों को समर्थन देना यही सिद्ध करता है कि ट्रूडो सरकार को भारतीय हितों की परवाह नहीं है और उसे अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधना है. उनकी ओर से ऐसा एक भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे तनाव में कमी आ सके और विवादित मुद्दों पर संवाद हो सके. यदि दोनों देशों के संबंध बिगड़ते चले जाते हैं, तो इसका पूरा दोष कनाडा का होगा.

'डिजिटल अरेस्ट और कानूनी बिंदु' पर व्याख्यान आयोजित

डिजिटल कोर्ट और डिजिटल अरेस्ट एक मिथ है वास्तविकता नहीं - एडवोकेट पंकज वाधवानी

■ **इंदौर। संभाग पोस्ट**

संस्था न्यायाश्रय द्वारा डिजिटल अरेस्ट और कानूनी बिंदु पर व्याख्या आयोजित किया गया, जिसमें एडवोकेट पंकज वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है। जिसमें अनेक लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए औसतन 6 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घोटाला किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट और कानूनी बिंदुओं पर विधि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एडवोकेट एवं लॉ एक्सपर्ट पंकज वाधवानी ने कहा कि ने कहा कि डिजिटल कोर्ट और डिजिटल अरेस्ट एक मिथ है, वास्तविकता नहीं है।

कैसे होती है डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत

डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें की खरीदी गई हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कई बार यह भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीजें हैं।

इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है।

क्या करें और कैसे बचे

लॉ एक्सपर्ट पंकज वाधवानी ने बताया कि सबसे पहले तो जागरूकता ही इसका बचाव है ऐसे किसी कॉल से डरना नहीं चाहिए क्योंकि डिजिटल कोर्ट और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई वैधानिक विजन इंडियन लॉ में नहीं है। तत्काल ऐसे किसी कॉल की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में करनी चाहिए। व्याख्यान में बड़ी संख्या में विधि विद्यार्थी मौजूद रहे।

डिजिटल अरेस्ट क्या है

एडवोकेट पंकज वाधवानी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है, जिसमें जालसाज कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर ऑडियो या वीडियो कॉल पर लोगों को धमकाते हैं और गिरफ्तारी के झूठे बहाने से उन्हें डिजिटल रूप से बंधक बना लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वे लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं।

पीथमपुर की बेटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में रजत पदक प्राप्त किया

■ **पीथमपुर। संभाग पोस्ट**

पीथमपुर की बेटी अंजलि सिंह ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मे रजत पदक प्राप्त किया। धार एमेच्योर बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष बालकेश पाल ने बताया की अंजली ने यह सफर पीथमपुर के एक छोटी सी अकादमी धार बाक्सिंग संघ से शुरू 2019 मे की।आज अंजली देश के लिए 2 रजत पदक जीत चुकी हे। अंजली का यह सफर बिलकुल आसान नहीं रहा। पीथमपुर के एक अकादमी धार बाक्सिंग संघ से शुरुआत कर देश की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करना एवं कई कठिनाइयों को झेला पर रुकी नहीं आज अंजली ने पीथमपुर का नाम दुनिया मे रोशन कर दिया।

लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी द्वारा दीपावली मिलन समारोह किया गया आयोजित

बड़ी संख्या में शहर वासियों के साथ सांसद समर्थक ग्रामीण भी पहुंचे

■ **इंदौर। संभाग पोस्ट**

सांसद प्रतिनिधि विशाल गिद्ववानी, और डॉ. संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सांसद कार्यालय पर भव्य अन्नकूट और श्रीनाथजी की आरती का आयोजन किया गया। सर्वाधिक लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी द्वारा दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में शहर वासियों के साथ-साथ सांसद समर्थक ग्रामीण भी उपस्थित रहे वही भव्य आरती के साथ महाप्रसाधी का लाभ भी सांसद समर्थकों द्वारा लिया गया वही सांसद शंकर लालवानी द्वारा सभी को दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं देकर उनका मुंह मीठा कराया गया इस शुभ अवसर पर, गगन खुबानी, डॉ,संतोष वाधवानी,(सांसद प्रतिनिधि)विशाल गिद्ववानी ऋषि सोलंकी, गगनदीप सिंह भाटिया विजय बागजाई, एकता मेहता, पवन शर्मा, विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बीएसएफ के नव आरक्षकों ने ली देश की रक्षा की शपथ, सीमा पर अब होंगे तैनात

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

सीमा सुरक्षा बल के इंदौर प्रशिक्षण केन्द्र में सोमवार को 485 नव आरक्षकों ने देश की रक्षा की शपथ ली। इनमें से 111 नवआरक्षकों को त्रिपुरा में तैनात किया गया है। समारोह में शपथ परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की सलामी बीएसएफ आईजी अश्वनी कुमार शर्मा ने ली। परेड के दौरान नव आरक्षकों ने राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी मानकर देश के संविधान के प्रति एकता, अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। शपथ परेड के बाद आरक्षकों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। राइफल प्रदर्शन, ग्रुप पीटी, छाउ नृत्य भी किया गया। एक घंटे तक हुई प्रस्तुतियों ने देखने वालों का भी मन मोह लिया। परेड में एक साथ कदमताल करते हुए चल रहे नव आरक्षकों को जोश और उत्साह देखते ही बनता था। उनके चेहरों पर देशसेवा की खुशी भी झलक रही थी।

नव आरक्षकों की बैच को 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न हथियारों, ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, मैप रिडिंग, युद्ध कौशल, निशानेबाजी, सीमा की निगरानी, आतंकवाद एवं उग्रवादियों से लड़ने के गुर का प्रशिक्षण दिया गया।

अब इन नव आरक्षकों को देश कि विभिन्न सीमाओं एवं आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए तैनात किया जाएगा। पास आउट हुए कुल 485 नव आरक्षकों में से झारखण्ड राज्य के 326, पश्चिम बंगाल के 153, मध्य प्रदेश के तीन बिहार से तीन है।

प्रशिक्षण के दौरान हुई स्पर्धा में विजेता नव आरक्षकों को अतिथियों ने मेडल प्रदान किए। परेड में नव आरक्षकों के माता-पिता भी मौजूद थे। अतिथियों ने कहा कि नवआरक्षकों के माता-पिता भी बधाई के पात्र है। उन्होंने देश सेवा के लिए अपने बच्चों को बीएसएफ को सौंपा है।

दीपावली त्यौहार के बाद

अनाज मंडी में व्यापारियों ने किए मुर्हूत के सौदे

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

दीपावली त्यौहार के बाद इंदौर में सोमवार को छावनी और लक्ष्मीबाई मंडी और सियागंज में व्यापारियों ने मुर्हूत के सौदे किए। परंरागत परिधानों में मंडी पहुंचे व्यापारियों ने बहीखातों में स्वास्तिक बनाकर भाव लिखे। कुछ व्यापारियों ने रुमाल के नीचे गुप्त सौदे किए। मंडी में आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ नजर आई। मुर्हूत के सौदों के साथ व्यापारियों ने उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों का सम्मान भी किया।

दीपावली से भाईदूज तक शहर की मंडियां बंद थी। जो सोमवार को खुली। मुर्हूत के सौदों में व्यापारियों किसानों की उपज को अच्छे दामों में खरीदते है। इस कारण किसान भी मुर्हूत के सौदों में ज्यादा दिलचस्पी लेते है। कई किसान एक दिन पहले सब्जी मंडी पहुंच गए थे। मंडी में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला,महेंद्र हार्डिया और पूर्व विधायक अश्विन जोशी भी पहुंचे थे। मुर्हूत के सौदों गेहूं 6171 प्रति क्विटल, डॉलर चना 7221, मक्का 2950, मूंग 8084 प्रति क्विटल के भाव से बिके। सौदे करने से पहले मंडी के मंदिर में व्यापारियों और किसानों ने पूजा की। इसके बाद पटाखे भी जलाए और एक दूसरे को दीपावली की बधाई भी दी। किसान भी अपने गांव से व्यापारियों के लिए मिठाई लेकर आए थे।

नगर निगम वर्कशॉप प्रभारी का कमाल

जेट प्रेशर मशीन से सिर्फ 5 हजार के खर्च में बना दी एंटी स्मॉग गन

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर नगर निगम की वर्कशॉप में लगातार शहर की जरूरत के अनुसार नवाचार होते रहते हैं। वर्कशॉप के प्रभारी मनीष पांडे और उनकी टीम इसके लिए वाहनों में आवश्यक बदलाव करते हुए देसी जुगाड़ से मशीनें बनाते है। मानव रहीत गणेश विर्सजन मशीन, सीएम डॉ मोहन यादव के पिता की अंतिम यात्रा के लिए शव वाहन, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रीक वाहन, टोइंग वैन सहित कई वाहन जिनका निर्माण नगर निगम की वर्कशॉप में हुआ है। ताजा मामला प्रदूषण कम करने वाली स्मॉग गन मशीन के निर्माण का है। जिसको जेट प्रेशर मशीन की सहायता से शहर में प्रदूषण कम करने के लिए बनाया गया है।

इंदौर शहर में दीपावली पर्व पर पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नगर निगम ने धनतेरस पर स्मॉग गन बनाने की तैयारी कर ली थी। वर्कशॉप प्रभारी इंजीनियर मनीष पांडे ने बताया कि निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग गन का निर्माण किया गया है। जिसमें जेट मशीन के नोजल को बदला गया और इसे गाड़ी के गेर से कनेक्ट किया गया, इस गेर को लगाते ही मशीन एक्शन मोड में आ जाती है। निगम वर्कशॉप में बनी इस मशीन से एक स्थान से 100 फीट दूरी तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है, वहीं रनिंग मोड में इसकी क्षमता 60 फीट दूर तक पानी का छिड़काव करने की होती।

स्मॉग गन बनाने में 5 हजार रूपए खर्च आया, 5 जेट प्रेशर वाहन निगम के पास पहले से ही हैं

दीपावली पर होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने स्मोग गन मशीनें किराए से लेने और खरीदने के लिए कहा था। लेकिन इंदौर में ऐसी मशीन किराए पर उपलब्ध नहीं हैं साथ ही टेंडर प्रक्रिया में बहुत समय लगता ऐसी स्थिति में वर्कशॉप प्रभारी मनीष पांडे ने जुगाड़ लगाई और स्मोग गन मशीन की तरह ही यह मशीन बना दी। दीपावली की रात पहली बार इंदौर में इसका उपयोग हुआ, इस दिन इंदौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 368 पर पहुंच गया था, जिसको देखते हुए दीपावली की रात रीगल तिराहा, बीआरटीएस, राजबाड़ा, मालवा मिल, विजयनगर सहित शहर के कई क्षेत्रों में स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया गया।

निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने बताया कि दीपावली पर होने वाले वायु प्रदूषण से शहरवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए हमने स्मॉग गन से शहर में पानी का छिड़काव करवाया, निगम वर्कशॉप के इंजीनियर और कर्मचारियों की रचनात्मकता से यहा मशीन बन सकी है। शहर में प्रतिदिन शाम को इसको चलाया जा रहा है जिसके परिणाम पॉजिटीव है। स्मॉग गन का उपयोग पेड़ों पर जमी धूल को साफ करने और हाई ट्रेफिक वाल्यूम वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ब्लड कैंसर की नई थेरेपी एमवाय में शुरू, देश का पहला सरकारी अस्पताल बना

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

ब्लड कैंसर के उपचार के लिए की जाने वाली कार टी सेल थेरेपी अब इंदौर में भी उपलब्ध हो गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. संजय दीक्षित ने बताया कि कैंसर के उपचार में यह सबसे उन्नत प्रक्रियाओं में से एक है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में इस थेरेपी की शुरुआत कुछ साल पहले हो चुकी है जबकि भारत में इस थेरेपी को आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है।

2021 में हुई पहली थेरेपी

पहली थेरेपी 2021 में की गई थी। भारत में राष्ट्रपति ने इस प्रक्रिया को अप्रैल 2024 में लागू करने के लिए समर्पित किया है। अमेरिका में इस उपचार प्रक्रिया की लागत लगभग 4 करोड़ रुपये है। जबकि मध्य भारत में इस इलाज की कीमत इस लागत का दसवां हिस्सा है। दीक्षित ने बताया कि एमवाय यह सुविधा देने वाला यह देश का पहला शासकीय अस्पताल है और यह एक मील का

पत्थरसाबित होगा।

कैसे काम करती है यह थेरेपी

काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) आनुवंशिक रूप से एन्कोडेड कृत्रिम संलयन अणु हैं जो चयनित कोशिका सतह लक्ष्य के विरुद्ध विशेष रूप से परिधीय रक्त पॉलीक्लोनल टी-कोशिकाओं को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सीएआर आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किए गए रिसेप्टर्स हैं जो टी सेल सिग्नलिंग डोमेन के साथ ट्यूमर लक्ष्यीकरण एंटीबॉडी से विशिष्ट बाइंडिंग डोमेन को जोड़ते हैं ताकि विशेष रूप से लक्षित एंटीबॉडी को टी सेल सक्रियण को पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मिल सके। कार टी सेल थेरेपी, ल्यूकेमिया/लिम्फोमा (रक्त कैंसर) के इलाज के लिए सबसे अत्याधुनिक उपचारों में से एक, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर द्वारा शुरू की गई है। इसमें बी-सेल एएलएल (कैंसर) से पीड़ित एक मरीज की श्वेत रक्त कोशिकाओं को एफेरेसिस मशीन की मदद से एकत्र किया गया, आनुवंशिक संशोधन किया गया और फिर प्रसंस्करण के 20 दिन बाद संशोधित सीएआर टी कोशिकाओं को रोगी में प्रत्यारोपित किया जाएगा। ये संशोधित कोशिकाएं रोगी में ट्यूमर कोशिकाओं को मार देंगी।

15 नवंबर से पुलिस इकाइयों में अनिवार्य होगा डिजिटल पेमेंट, नकद लेनदेन पर लगेगा प्रतिबंध

■ भोपाल । संभाग पोस्ट

पुलिस मुख्यालय ने अपने द्वारा संचालित पेट्रोल पंप, एलपीजी केंद्र, सुपर बाजार और अन्य स्थानों पर नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर 2024 से इन स्थानों पर केवल डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों और सेनानियों को निर्देशित किया गया है। यह कदम पुलिस इकाइयों में गबन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, जहां नगद लेन-देन के कारण वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं। पेट्रोल पंप और अन्य पुलिस कल्याण केंद्रों में गबन की घटनाओं के पीछे नगद लेन-देन का प्रमुख योगदान पाया गया है। इन घटनाओं की फॉरेंसिक ऑडिट में यह सामने आया है कि नगद लेन-देन और लेखा-जोखा में पारदर्शिता की कमी के चलते यह समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। 2016 में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलन में पुलिस संगठनों से कैशलेस लेन-देन बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। इसके तहत गृह मंत्रालय ने पुलिस कल्याण के लेनदेन में 50₹ जीएसटी छूट और 100₹ कैशलेस भुगतान का प्रावधान किया है, जो अब सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। 15 नवंबर 2024 से डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड, यूपीआई और पीओएस मशीन जैसी सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से पुलिस इकाइयों में पूरी तरह से नगद लेन-देन समाप्त कर दिया जाएगा। 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक कुछ अपवादस्वरूप मामलों में नकद भुगतान स्वीकार किया जाएगा। इस अवधि के दौरान नकद बिक्री की जानकारी रसीद पर ग्राहक के नाम और मोबाइल नंबर के साथ दर्ज की जाएगी, और इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही पचमढ़ी में एकमात्र पुलिस पेट्रोल पंप होने के कारण यहां नकद लेन-देन को जारी रखा जाएगा। 15 नवंबर से पुलिस द्वारा संचालित पेट्रोल पंप, सुपर बाजार, एलपीजी केंद्र में केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार होंगे। सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुख हर 15 दिनों में डिजिटल और नकद लेनदेन का ब्यौरा कल्याण शाखा को भेजेंगे। कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था के लिए क्यूआर कोड, यूपीआई और पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी।

खरगोन में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

दोस्त के सामने ही युवकों ने की हैवानियत, चार आरोपी गिरफ्तार

■ खरगोन । संभाग पोस्ट

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वीरान क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से उसके दोस्त के सामने ही सामूहि दुष्कर्म करने का बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि मामला दीपावली पर्व के दौरान बीते 30 अक्तूबर को शाम करीब 07:30 बजे का है, जिसमें बालिका की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए देर रात तक चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था है। अगले ही दिन उनसे पूछताछ कर गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया था। वहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार नगर की एक 16-17 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपने मित्र के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। इस दौरान पहले तो आरोपियों ने उसका वीडियो बनाया। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए बालिका से उसके नाबालिग दोस्त के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बालिका ने ही थाने पहुंचकर आरोपियों की नामजद शिकायत दर्ज कराई थी।

इधर, इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए खरगोन एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बरिया ने बताया कि यह घटना 30 तारीख की है। एक नाबालिक बालिका की ओर से बताया गया कि उसके साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इसके बाद थाना खरगोन में बीएनएस की धारा 64 (1), 70(2), 115(1), 308(2), 126(2) और 351(3) के साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद इस मामले की जांच महिला डीएसपी वर्षा के द्वारा कराई गई थी। घटना से जुड़े सभी आरोपियों को भी उसी दिन देर रात के वक्त में हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है।

इंदौर में मस्जिद पर लगा गजवा-ए-हिंद का पोस्टर

भाजपा विधायक के बेटे ने सोशल मीडिया पर किया शेयर

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो विधायक के पुत्र संस्था हिंद रक्षक के एकलव्य सिंह गौड़ ने साझा करते हुए लिखा- इंदौर के कागदीपुरा क्षेत्र में एक मस्जिद पर लगा गजवा-ए-हिंद के आतंक को दर्शाता पोस्टर प्रशासन की शांति व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है। जिहादी मानसिकता द्वारा शहर को आतंकित करने के मंसूबों से लगाए गए इस पोस्टर की अनुमति आखिर किसने दी? प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। गौड़ ने बताया कि कागदीपुरा की मस्जिद पर पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। इधर इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टर हटवा दिया है।

यह चेतावनी है

इसमें सामने की तरफ सेना बताई है जो भगवा झंडे लिए हुए है। यह सनातन धर्म को चेतावनी है। इसके खिलाफ ही युद्ध बताया गया है। साथ ही बताया कि इस्लाम में विश्व को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक दारुल इस्लाम, यह वह दुनिया है जिसमें सभी व्यक्ति इस्लाम को स्वीकारें। जहां दारुल इस्लाम नहीं है, वहां ये फतह करना चाहते हैं, जिसे दारुल हरब कहा जाता है। गजवा-ए-हिंद मतलब हिंद के खिलाफ उन्हें अपना शासन स्थापित करना है। एक अभियान चलाया जा रहा है। इसे छोटी हरकत नहीं मानना चाहिए, यह हमारे लिए संदेश है। इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहले भी थाने में इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यह है गजवा का अर्थ जानकारी अनुसार गजवा-ए-हिंद में गजवा का अर्थ 'इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग' होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को 'गाजी' कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवा-ए-हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है।

पुलिस ने जांच शुरू की

यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसकी जांच की जा रही है। - केपी यादव, थाना प्रभारी छत्रीपुरा

विवाद मामले में दो आरोपितों पर लगाई रासुका

इधर, छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पटाखे फोड़ने की मामूली बात पर हुए विवाद में पुलिस ने आरोपित शानू और सलमान के खिलाफ रासुका लगाई है। मामले में 14 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। इनमें से चार पुलिस की गिरफ्त में हैं। अन्य फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उनके रिश्तेदारों की जानकारी जुटाकर वहां भी टीम पहुंच रही है। शनिवार को भी घटना स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात रहा।

निर्वाचन आयोग ने यूपी, पंजाब, केरल उपचुनावों की तारीखों में किया बदलाव

■ नई दिल्ली । संभाग पोस्ट

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनावों की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर कर दी। उत्तर प्रदेश में नौ, पंजाब में चार और केरल में एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है।

BJP सहित कई दलों ने किया था आग्रह

कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) सहित कई दलों ने विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर आयोग से चुनावों की तारीख पुनर्निर्धारित करने का आग्रह करते हुए कहा था कि 13 नंवबर को चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने कहा था कि केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में मतदाता 13 से 15 नवंबर तक कल्पती रथोत्सवम का त्योहार मनाएंगे। पार्टी ने कहा था कि पंजाब में श्री गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा और 13 नवंबर से अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। भाजपा, बसपा और रालोद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा से तीन-चार दिन पहले लोग यात्रा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को होगी। पूर्व में 15 अक्टूबर को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के साथ 13 नवंबर को होने थे।

नांदेड़ लोकसभा सीट और केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के साथ 20 नवंबर को होने हैं। इन दोनों उपचुनावों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों और उपचुनावों की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 23 नवंबर को ही होगी।

पूरे प्रदेश में पैर पसार रही ठंड, पचमढ़ी सबसे ठंडा, इंदौर भोपाल में भी बदला मौसम

■ भोपाल । संभाग पोस्ट

मध्यप्रदेश में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है और ठंडक का अनुभव होने लगा है। राज्य के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। अक्टूबर के बाद नवंबर में भी यहां दिन और रात का तापमान न्यूनतम बना हुआ है। रविवार को पचमढ़ी का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले 15 डिग्री से भी कम था। इस क्षेत्र में सर्दियों के इस शुरुआती प्रभाव से ठिठुरन बढ़ने लगी है और स्थानीय लोग सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी प्रकार ग्वालियर और चंबल जैसे क्षेत्र भी ठंड से अछूते नहीं रहे हैं और वहां भी रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है।

नवंबर में बारिश की संभावना काफी कम

मौसम विभाग के अनुसार इस बार नवंबर में बारिश की संभावना काफी कम है। मध्यप्रदेश में सामान्यतः नवंबर में ठंड के साथ-साथ हल्की बारिश का भी एक ट्रेंड देखा जाता है लेकिन इस बार इसके कम होने के आसार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर में सिस्टम की गतिविधि कम रहने के कारण बारिश की संभावना घट गई हैं। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया के कारण कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं और बूंदाबांदी की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे नवंबर में मध्यप्रदेश में औसत बारिश केवल आधा इंच ही होती है। इसके बावजूद, यह वर्षा राज्य के कुछ इलाकों में ठंडक को और अधिक बढ़ा सकती है।

इंदौर में 371 भोपाल में 342 एक्यूआई

वायु प्रदूषण की बात करें तो इसमें भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। ठंड आने और कोहरा छाने से वायुमंडल में धूल के कण अधिक देर तक जमे रहेंगे। इस स्थिति में हालात और भी खराब हो सकते हैं। इंदौर और भोपाल का एक्यूआई लगातार 300 के पार बना हुआ है। सोमवार को इंदौर का एक्यूआई 371 और भोपाल का 342 तक पहुंचा। जो खरतनाक स्तर माना जाता है।

पूरे राज्य में अपने पैर पसार रही है ठंड

इस बार ठंड के शुरुआती दिनों में ही कई शहरों में तापमान गिरता दिख रहा है। रविवार को मंडला और रीवा जैसे शहरों में हाल ही में रात का तापमान क्रमशः 15 और 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उमरिया में यह 15.8 डिग्री, राजगढ़ में 16.4 डिग्री, नौगांव में 16.6 डिग्री और जबलपुर में 16.8 डिग्री सेल्सियस था। अन्य स्थानों जैसे सतना, मलाजखंड, बैतूल, टीकमगढ़, रायसेन, भोपाल और ग्वालियर में भी रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर जैसे छिंदवाड़ा में 18 डिग्री, उज्जैन में 18.4 डिग्री, इंदौर-गुना में 19.2 डिग्री, और रतलाम-सिवनी में 19.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि ठंड धीरे-धीरे पूरे राज्य में अपने पैर पसार रही है।

15 नवंबर के बाद ठंडक का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड के और बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि 15 नवंबर के बाद ठंडक का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड देखा जाए तो इस समय ठंडक बढ़ने का सिलसिला देखा गया है। हालांकि, दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास दूसरे सप्ताह तक बना रहेगा, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और यह 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है। उत्तरी हवाओं के चलने से भी तापमान में गिरावट का असर महसूस होगा, जो ठंड को और अधिक बढ़ा देगा।

इंदौर का अब तक का सबसे ठंडा रिकॉर्ड

भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में सर्दी का एक खास ट्रेंड देखा जाता है। भोपाल में नवंबर महीने के दौरान रात का तापमान

सामान्यतः 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भोपाल में नवंबर के महीने में तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। यह रिकॉर्ड 30 नवंबर 1941 को दर्ज किया गया था। इसी प्रकार इंदौर में ठंड का असर खासकर दूसरे सप्ताह से दिखने लगता है, जब रात का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच पहुंच जाता है। इंदौर का न्यूनतम तापमान 25 नवंबर 1938 को 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जो अब तक का सबसे ठंडा रिकॉर्ड है।

सामान्य मौसम इस तरह रहेगा

नवंबर में आमतौर पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। राज्य में ठंड बढ़ने के साथ ही लोग सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं। टेम्प्रेचर 10 से 12 डिग्री के बीच रहता है। कभी-कभार बारिश भी हो जाती है। दिन में 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहता है।

गृह जिले में पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाएगी सरकार

■ भोपाल । संभाग पोस्ट

प्रदेश के गृह विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के गृह जिलों में स्थानांतरण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को यह निर्देश जारी किया है कि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी अपने गृह जिले में अटैच नहीं किया जाएगा।

पुलिसकर्मी के गृह जिलों में स्थानांतरण पर रोक

गृह विभाग ने पुलिसकर्मियों के गृह जिलों में स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किया है। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि पुलिसकर्मियों को अक्सर उनके गृह जिले में अटैच किया जा रहा है, जो उचित नहीं माना गया। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी पुलिसकर्मी का उनके गृह जिले में स्थानांतरण या अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। विभाग में अन्य स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के लिए लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ गई है।

अधिकारियों का बदलाव

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हाल ही में आयोजित बैठक में कहा कि अधिकारियों को अटैचमेंट से हटाया जाए। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों, जिसमें एएसआई से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन सभी को स्थानांतरित किया जाएगा। गृह विभाग में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो कार्यालय में बाबूगिरी कर रहे हैं। इन विवादित पुलिसकर्मियों को फील्ड में भेजने की तैयारी है, खासकर उन पर जो बंदूक के लाइसेंस और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन कर रहे हैं। इस कदम से विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

जल्द चलेगी इंदौर-उज्जैन मेट्रो, DPR के लिए दो महीने का टारगेट; इतने पैसों की होगी अनुमानित लागत

■ उज्जैन । संभाग पोस्ट

इंदौर से मेट्रो को रिंग रूट के साथ ही उज्जैन तक भी चलाने की कवायद एक साल से चल रही है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर, देवास के बीच मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की थी। प्रोजेक्ट से धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए आसानी होगी।

सिंहस्थ-2028 और उज्जैन रोड पर हो रहे विकास को देखते हुए इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में सिंहस्थ के लिए हुई मंत्री समूह की बैठक में इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। यह कार्य दो महीने में पूरा करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 7 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इंदौर से मेट्रो को रिंग रूट के साथ ही उज्जैन तक भी चलाने की कवायद एक साल से चल रही है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर, देवास के बीच मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की थी। प्रोजेक्ट से धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए आसानी होगी। 58 किमी के कॉरिडोर में 7 स्टेशन प्रस्तावित हैं। मेट्रो ट्रेन यह दूरी करीब 50

से 60 मिनट में तय कर लेगी। इधर, सरकार ने बायपास पर हो रहे आवासीय विकास को देखते हुए इसका नया विकास प्लान मंजूर कर दिया है।

बायपास के कंट्रोल एरिया की जमीनों के लिए लैंड यूज में बदलाव करते हुए इसके मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इस पहल से बायपास के दोनों ओर सर्विस लेन फोर लेन हो जाएगी, जो वर्तमान में टू लेन है। जमीन मालिक भी अपनी जमीनों का उपयोग आवासीय, व्यवसायिक व अन्य उपयोग के लिए कर सकेंगे। इसका बड़ा फायदा बायपास के दोनों ओर आवासीय विकास को होगा। कॉलोनी-टाउनशिप में रहने वालों के लिए आवाजाही भी आसान हो जाएगी। इस कवायद से मेट्रो के लिए भी राह आसान रहेगी।

तैयार किया 450 करोड़ का प्लान

सरकार ने बायपास विकास योजना को मंजूरी देने के साथ ही नगर व ग्राम निवेश विभाग को इस पर अमल के लिए भी कहा है। इस पर जमीन मालिकों की सुनवाई के लिए आपत्तियां व सुझाव बुलाए गए हैं। करीब 350 आपत्ति व सुझाव आए हैं। जिन पर जल्द ही सुनवाई होगी। इस पर निर्णय के बाद योजना का नोटिफिकेशन करके जमीन मालिकों से एग्रीमेंट किए जाएंगे। दूसरी ओर नगर निगम ने 450 करोड़ का प्लान तैयार करके एनएचएआई को भेज दिया है।

सर्विस रोड से ये लाभ होगा

31 किमी की सर्विस रोड फोर लेन होने से इनको आवाजाही में आसानी होगी। इससे 200 से ज्यादा टाउनशिप के 4 लाख से ज्यादा आबादी को राहत मिलेगी। दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वहीं भविष्य के लिहाज से इसमें मेट्रो ट्रैक का प्रावधान भी रहेगा।

दीपावली गई, अब हटेंगे अतिक्रमण, ठेले-गुमटियों सब पर होगी कार्रवाई

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

जिले में सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 50 दिन से अधिक की अवधि के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में आवेदकों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनकर उनके ही समक्ष समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि 50 दिन से अधिक की अवधि के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। उन्होंने त्यौहारों के मद्देनजर थमी यातायात सुधार और फुटपाथों से अतिक्रमण तथा अन्य बाधाएं हटाने की मुहिम को पुनः तेज गति से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

सभी विभागों की समीक्षा की

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) की बैठक में सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर गौरव बेनल, ज्योति शर्मा, रोशन राय, राजेन्द्र रघुवंशी, निशा

डामोर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने समय-सीमा के पत्रों, सीएम हेल्पलाइन तथा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की।

खाद वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की

उन्होंने कहा कि जन समस्याओं संबंधी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाये। सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को अनिवार्य रूप से देखें। संबंधित आवेदक से चर्चा कर निराकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दें। आवेदन का आवेदक की संतुष्टि के साथ सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी समय-सीमा में सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने खाद वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। बताया गया कि जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। किसी भी तरह खाद की कोई कमी नहीं है। बैठक में कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि तीन माह से अधिक के लंबित विभिन्न अविवादित राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाए।

समय सीमा में निपटाएं प्रकरण

लोक सेवा गारंटी अंतर्गत प्रकरणों का समयावधि में निराकरण सुनिश्चित हो। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि अविवादित सीमांकन, नामांतरण, बटवारा सहित विभिन्न प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धारणाधिकार की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उन्होंने नल-जल योजना के चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रगतिरत कार्यों को गति देकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश भी दिए।

फैमिली कोर्ट में अब वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी होगी मध्यस्थता और सुनवाई

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

विदेश में रह रहे दंपतियों को राहत देते हुए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पारिवारिक विवादों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से मध्यस्थता और सुनवाई की अनुमति दे दी है। अब पति, पत्नी या दोनों के विदेश में रहने के बावजूद कुटुम्ब न्यायालय उनके बीच के पारिवारिक विवाद जैसे तलाक, भरण पोषण इत्यादि में वीसी के माध्यम से सुनवाई कर फैसला सुना सकेगा। न्यायालय ने ऐसा करना शुरू कर भी दिया है। दरअसल, अब तक ऐसे मामलों में पति, पत्नी की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित अनिवार्य हुआ करती थी। मध्यस्थता की प्रक्रिया और बयान उनके प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने पर दर्ज किए जाते थे, लेकिन मध्यस्थता एक्ट 2023 लागू होने के बाद इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत हुईं, जिनका निराकरण करते हुए हाई कोर्ट ने वीसी के माध्यम से मध्यस्थता और सुनवाई की अनुमति दे दी।

केस 1 : अमेरिका निवासी सनम मेहता ने पत्नी के खिलाफ लगाई थी याचिका

अमेरिका निवासी सनम मेहता ने कुटुम्ब न्यायालय इंदौर में पत्नी के खिलाफ तलाक के लिए याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मध्यस्थता की कार्रवाई वीसी के माध्यम से कराए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कुटुम्ब न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर दिया। इस पर सनम ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि मध्यस्थता एक्ट 2023 लागू होने के बाद वीसी के माध्यम से मध्यस्थता और सुनवाई की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कुटुम्ब

न्यायालय को वीसी के माध्यम से मध्यस्थता के आदेश दिए। हाल ही में वीसी के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक को लेकर सहमति बनी। सनम ने पत्नी को आजीवन भरण पोषण के लिए 28 हजार रुपये देना स्वीकार किया।

केस-2 : अमेरिका में रह रही पत्नी ने भारत में रह रहे पति से लिया तलाक

अमेरिका में निवासरत पत्नी ने भारत में रह रहे पति से आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए कुटुम्ब न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वीसी के माध्यम से मध्यस्थता करवाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आवेदन स्वीकारते हुए मध्यस्थता करवाने के आदेश दिए। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश आरके जैन ने मध्यस्थता की कार्रवाई पूरी करवाई।

केस-3 : पत्नी कनाडा में तो पति अमेरिका में

पत्नी कनाडा में रहती है और पति अमेरिका में। दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते थे। उनकी ओर से नियुक्त आम मुख्तयार उनके पिता ने एडवोकेट अमरसिंह राठौर के माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक की याचिका कुटुम्ब न्यायालय में प्रस्तुत की। हाई कोर्ट के आदेश के प्रकाश में एडवोकेट राठौर ने वीसी के माध्यम से मध्यस्थता और सुनवाई के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं और वीसी के माध्यम से सुनवाई के लिए तैयार हैं। तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश माया विश्वलाल ने आवेदन स्वीकारते हुए वीसी के माध्यम से मध्यस्थता के आदेश दिए।

सीएम डॉ. यादव की घोषणा

बूढ़ी और अपाहिज गायों की देखभाल कांजी हाऊस में नहीं गौ-शालाओं में होंगी

■ भोपाल । संभाग पोस्ट

मध्य प्रदेश में गायों को लेकर सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह के दौरान गौ-पालन एवं गौ-संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बूढ़ी और अपाहिज गायों की देखभाल अब कांजी हाउस की जगह गौशालाओं में की जाएगी। साथ ही, 10 या अधिक गायों का पालन करने वाले गौ-पालकों को विशेष अनुदान और क्रेडिट कार्ड देने का प्रावधान भी किया गया है। गौवध के दोषियों के लिए सात साल के सख्त कारावास की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर लाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौता (एमओयू) किया गया है। प्रदेश में आगामी पशु गणना में भी मध्यप्रदेश को पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य है।

गोवर्धन पूजा पर सीएम ने की यह घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का प्रतीक है। राज्य सरकार ने पहली बार इसे शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है। गौशालाओं में होगी बूढ़ी और अपाहिज गायों की देखभाल की जाएगी। शहरों में कांजी हाऊस के स्थान पर गौशालाओं में बूढ़ी और अपाहिज गायों की देखभाल की जाएगी। सरकार विशेष अनुदान योजना शुरू करेगी। इसमें 10 या अधिक गायों का पालन करने वाले पशुपालकों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को अग्रणी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 9₹ से बढ़ाकर 20₹ तक किया जाएगा। गौ-वंश के आहार पर अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा। इसमें गौ-शालाओं में प्रति गौ-वंश के आहार अनुदान की राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। गौवध पर कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें गौवध के दोषियों को 7 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा।

शहरों में प्रारंभ होंगी बड़ी गौ-शालाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुग्ध सहकारिता में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि अमूल की तरह, मध्यप्रदेश में भी सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौपालन एवं गौ संरक्षण के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर जैसे शहरों में जहां हजारों की संख्या में गौ-वंश है, बड़ी गौशालाएं प्रारंभ की जाएगी। शहरों की गौशालाओं में 5 हजार से लेकर 10 हजार तक गौवंश को रखने की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में पशुधन संरक्षण और पशुपालन गतिविधियों के लिए 590 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

गाय धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से भारतीयों के लिए पूजनीय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गाय धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी करोड़ों भारतीयों के लिए पूजनीय है। आज पंचगव्य सहित अनेक उत्पाद आमजन द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। कोविड के दौर में गौ-वंश के उत्पादों का उपयोग किया गया। आयुर्वेद में औषधि के रूप में पंचगव्य जिसमें दूध, दही, घी, गोबर और गौ-मूत्र शामिल हैं संक्रमण को रोकने में मददगार रहा।

संत समाज का विशेष सहयोग

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-वंश संरक्षण के क्षेत्र में संत समाज का विशेष आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है। सहअस्तित्व हमारी संस्कृति की विशेषता है। गौमाता के जीवन से हमारा जीवन गौरवान्वित होता है। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह में स्वामी अच्युतानंद जी और गौ-संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले स्वामी हरिओमानंद जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं।

प्रदर्शनी का अवलोकन और गौ-पालकों का सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रवीन्द्र भवन परिसर में विभिन्न गौशालाओं की गायों के साथ ही गोवर्धन पूजन भी किया। इस अवसर पर गौ-उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित अनेक गौ-उत्पाद देखे, इनमें गौ-घृत, अन्य उत्पाद और गोबर से निर्मित कलाकृतियां भी शामिल थी। प्रदर्शनी के एक हिस्से में श्रीकृष्ण गौ-शाला केंद्रीय जेल और नगर निगम द्वारा संचालित अरवलिया गौ-शाला सहित अन्य गौ-शालाओं की गाये लाई गईं। गायों को गोवर्धन पूजा के दिन नहला-धुलाकर नए वस्त्रों और मयूर पंख आदि से सज्जित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न गौ-शालाओं के संचालकों का श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सम्मान भी किया। इसमें इंदौर की गौशाला के संचालक हरिओम आनंद, गायत्री परिवार से जुड़े सूरज सिंह परमार, सोनू जैन, प्रदीप कुमार जैन एवं उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर आदि नगरों के अन्य गौशाला संचालक शामिल रहे।

शिकायत सहीं मिली तो 90 दिन में नपेंगे

IAS, IPS

■ भोपाल । संभाग पोस्ट

भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में सचिव या आईएएस (IAS) आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस शिकायत मिलती है तो उसकी जांच होगी और 90 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी नपेंगे। ऐसे मामलों में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला समूह यानी 'ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी' कार्रवाई करेगा। डीओपीटी ने कहा- ऐसी गुमनाम शिकायतों पर एक्शन लेने की कोई जरुरत नहीं है, जिन पर नाम व पता नहीं लिखा होगा। किसी शिकायत में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं तो उसे शिकायत कर्ता की पहचान किए बिना ही समाप्त किया जा सकता है।

IAS की शिकायत 15 दिनों में पहुंचनी चाहिए

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के विरुद्ध मिलने वाली ऐसी शिकायतें, जिनका संबंध आईएएस (IAS), आईपीएस तथा आईएफएस अधिकारियों या केंद्र सरकार के कर्मचारियों से है और वे राज्य सरकारों से जुड़े मामले देख रहे हैं, इस स्थिति में उस शिकायत को संबंधित राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार पेरा 5 व पेरा 6 के तहत उस शिकायत पर कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकार जब उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मिली शिकायत की जांच करने के निर्णय पर पहुंचती है तो 15 दिन के भीतर शिकायत की कॉपी, उस अधिकारी या कर्मचारी को देनी चाहिए, जिसके खिलाफ जांच की जानी है।

तीन माह के भीतर देनी होगी जांच रिपोर्ट

शिकायत मिलने के बाद जब मंत्रालय या विभाग ये तय कर लेता है कि अब मामले की जांच की जाएगी तो यह प्रक्रिया तीन माह में पूरी करनी होगी। इसके लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में रिव्यू कमेटी गठित की जाएगी। एडीशनल सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी, रिव्यू कमेटी को हेड करेगा। संबंधित मंत्रालय का सीवीओ और

ज्वाइंट सेक्रेटरी ,एडीशनल सेक्रेटरी इनचार्ज, कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। रिव्यू कमेटी मासिक बैठक कर उन सभी शिकायतों को निपटाने का प्रयास करेगी, जिनमें दो माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उस मामले में पेरा 8 के तहत राज्य सरकारें भी इसी प्रक्रिया का पालन करेंगी।

कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाएगी शिकायत

भारत सरकार के सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमडी व पीएसई,पीएसबी के कार्यात्मक निदेशक के खिलाफ कैबिनेट सचिवालय, डीओपीटी और पीएमओ को अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला समूह 'ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी' उनकी छंटनी करेगा। डीओपीटी के अनुसार, भारत सरकार के सचिव के खिलाफ अगर इस तरह की कोई शिकायत कैबिनेट सचिवालय, डीओपीटी या प्रधानमंत्री कार्यालय के पास आती है, भले ही वह छद्म तरीके से ही क्यों न आई हो, उसे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले समूह के पास ही भेजा जाएगा। डीओपीटी को यह निर्देश इसलिए भी जारी करने पडेद्र, क्योंकि राज्यों से पीएमओ, डीओपीटी में लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं।

संभाग पोस्ट

'ऑपरेशन प्रहार' के तहत क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में

40 लाख रुपए अंतराष्ट्रीय कीमत की अवैध मादक पदार्थ MD ड्रग्स के साथ तस्कर धराएं

क्राईम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में 02 आरोपी गिरफ्तार... पुलिस को देख, आरोपी बिना नंबर की मोटर साइकिल का उपयोग कर तेज गति से भागने में हुए असफल... थाना क्राईम ब्रांच इंदौर में आरोपियों के विरुद्ध NDPS Act में अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही... पुलिस रिमांड में आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी (खरीदी–बिक्री) के संबंध में होना है पूछताछ।

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण हेतु इंदौर कमिश्नरेट में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं इनकी गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ के क्रय–विक्रय व इनमें संलिप्त व्यक्तियो के संबंध मे गोपनीय रुप से लगातार असूचना संकलन कर कार्यवाही की जा रही हैं। इसी दौरान क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा संदेहियो की तलाश पतारसी इंदौर शहर में अलग अलग स्थानो पर करते ऐं 4 रोड पर नमकीन क्लस्टर गली के पास बिना नंबर की मोटरसाइकिल से दो संदिग्ध जाते हुए दिखे जिन्हें क्राईम ब्रांच पुलिस टीम के द्वारा रुकने को कहा तो भागने का प्रयास किया उक्त दोनों आरोपियों को क्राईम ब्रांच के द्वारा पकड़ा और आरोपियों को से विधिवित पुछताछ करते पूछताछ पर आरोपियो के द्वारा अपना नाम (1). आमिर गौरी निवासी नयापुरा इन्दौर (2). अयान खान निवासी टाटपट्टी बाखल इन्दौर का होना बताया । बाद आरोपी की विधिवत तलाशी लेने पर आरोपीयो के पास से कुल लगभग 88 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (एमडी ड्रग्स) मिला, जिसके संबंध में पूछते आरोपियो ने कोई उचित उत्तर नही दिया। आरोपियो के कब्जे से लगभग 88 ग्राम अवैध मादक पदार्थ 'श्अ ड्रग्स' (अंतराष्ट्रीय कीमत करीब 40 लाख रुपए) एवं मोटर साइकिल जप्त कर, इसके विरुद्ध थाना अपराध शाखा में धारा 8/22 ब्अइए एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं एवं अन्य आरोपियो के संबंध में पुछताछ कर पतारसी की जा रही है ।

दिल्ली और यूपी के छात्रों की तेज रफ्तार कार इंदौर-देवास रोड पर कंटेनर में घुसी, एक की मौत, पांच घायल

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

अपने दोस्त से मिलने दिल्ली, यूपी के नोएडा और मुज्जफरनगर से आए युवकों की कार इंदौर-देवास रोड पर एक कंटेनर में जा घुसी। छात्र इंदौर से भोपाल की तरफ जा रहे थे। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि पांच घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

हादसे में मृत छात्र का नाम धैर्य है, जबकि श्रेयांश सिंह, अभय वर्मा, रोहित पुनिया, मोहित और विनायक सिंह घायल हुए हैं। सभी छात्र वैल्लूर विश्व विद्यालय में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। वे दीपावली पर छुट्टी होने के कारण इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में रहने वाले अपने दोस्त राज से मिलने आए थे।

दिल्ली से किराए की कार लेकर आए दोस्त राज से मिलने के बाद सोमवार अल सुबह भोपाल जाने के लिए निकले थे, इसी बीच एबी रोड पर कार कंटेनर में जा घुसी। आगे की सीट पर बैठे धैर्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभय वर्मा और श्रेयांश की हालत नाजुक है। दोनों को वेंटिलेटर पर रखा गया है।

पिछले हिस्से में घुसी थी कार

कार कंटेनर के पिछले हिस्से में घुस गई थी। कार को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला और दरवाजे के शीशे तोड़कर घायलों को निकाला। पुलिस अफसरों ने घायल के दोस्त राज को भी मौके पर बुलाया और दोस्तों के परिजनों को सूचना देने के लिए कहा। घायल छात्रों के परिजन भी इंदौर के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। कंटेनर चालक फरार है।

हरी सब्जियों के रेट पहुंचे 140 रुपये किलो

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

हरी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचने लगे हैं। खुदरा बाजार यानी शहर की आम दुकानों-ठेलों पर हर तरह की हरी सब्जियां कम से कम 80 रुपये किलो और ऊपर में 120 से 140 रुपये प्रति किलो के दाम पर बिक रही हैं। कम से कम दो सप्ताह से यह स्थिति बनी हुई है।

लोग मान रहे थे कि दीपावली के कारण सब्जियों की महंगाई बढ़ी है। हालांकि व्यापारी कह रहे हैं कि अभी कम से कम महीनेभर महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। थोक सब्जी मंडी में दीपावली के अवकाश के बाद शनिवार से फिर कारोबार शुरू होगा।

संदीप पवार
KP
॥ श्री गणेशाय नमः॥
Mob :-98260-68380
न्यू नर्मदा ट्रेडर्स
सीमेन्ट
बालू रेती
काली रेती, गिट्टी
ईंट एवं बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता
4, मंगलनगर, आई.टी.आई. रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, पेट्रोल पम्प के पहले, इन्दौर (म.प्र.)

राहुल जनरल स्टोर्स
शॉप नं. 3 मालवा मिल चौराहा, इंदौर
मो. 9977732802

डॉ. हिमांशु केलकर
एम.डी., डी.सी.एच.
नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
मो. 9202238451
क्लिनिक: 20 जी/एच., गीतांजलि अपार्टमेन्ट, मार्केट रोड, विजय नगर
स्कीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.) Email : himanshukelkar@rediffmail.com
समय : प्रातः 10.30 से 1.30 बजे, सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
निवास : 7-बी, शालीमार टाउनशिप, ए.बी. रोड, इंदौर

चेतन टेलर्स
(सूट स्पेशलिस्ट)
सुनिल खटके
मो. 9893118079
30/1.परदेशीपुरा, शिवधाम के सामने, इंदौर

कार्यालय पता: 201, दूसरी मंजिल, इंदौर प्रेस क्लब परिसर, एम.जी. रोड, (जिला न्यायालय के सामने), इंदौर (म.प्र.),
स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक नवीन गलकर द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं ए-119, वीणा नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक: नवीन गलकर, मो. 9009919948